पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

एक भारत श्रेष्ठ भारत

महाप्रबंधक कार्यालय/GM's Office
कार्मिक विभाग/Personnel Deptt.
जबलपुर/Jabalpur, Pin-482001

पत्र क्रं.पमरे/का.मुख्या./ई.ई.(निर्माण)/पुनर्नियोजन/319316 दिनांकःहस्ताक्षरानुसार

अधिसूचना संख्या-04/2026(निर्माण- इंजी.)

रेलवे बोर्ड के आर.बी.ई.संख्या-96/2024 दिनांक-15.10.2024, 115/2024 दिनांक-31.12.2024 एवं 55/2025 दिनांक-20.06.2025 तथा 73/2026 दिनांक- 22.09.2026 में निहित निर्देशों के अधीन पश्चिम मध्य रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के निर्माण संगठन में **"SSE(Works) & JE (Works), SSE/Drg., SSE(P-Way) & JE(P-Way) & Trackman"** के पदों पर अराजपत्रित सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पमरे के निर्माण संगठन के जबलपुर, भोपाल व कोटा के लिए 13 पद पर पुनर्नियोजन किया जाना है। पदों का विवरण निम्नानुसार हैः-

Deptt.	Level	Re-Employment Post	Medical Cat.	JBP Div	BPL Div	Kota Div	Total
Cons- Engg.	7	SSE(Works)	B-1	2	1	2	**5**
	6	JE (Works),	B-1	0	3	0	**3**
	7	SSE/Drg	C-1	1	0	0	**1**
	7	SSE(P-Way)	A-3	0	1	0	**1**
	6	JE(P-Way)	A-3	0	0	1	**1**
	1	Trackman	B-1	0	1	1	**2**
Total				**3**	**6**	**4**	**13**

नियम व शर्ते.-

1. आवेदनकर्ता अधिसूचना जारी होने की तिथि से आवेदन कर सकते है। आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि 20.11.2026** है इस तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2. उक्त पुनर्नियोजन अनुबंध की तिथि से 01 वर्ष तक के लिए(जिसे बाद में बढाया जा सकता है) अथवा आवेदक की उम्र 65 वर्ष होने तक (जो पहले हो) लागू रहेगी।
3. यदि कर्मचारी का कार्य/आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो प्रशासन को उसकी सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही 15 दिन का नोटिस देकर सेवा समाप्त करने की स्वतंत्रता होगी। सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनी सेवा समाप्त करने से पहले 15 दिन का नोटिस देना होगा।
4. अनुशासन एवं अपील कार्यवाही के परिणामस्वरूप या सेवा समीक्षा (नियम 56 जे) के तहत हटाए गए /बर्खास्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त कर्मचारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्त योजना (SRRS) /LARSGESS) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी भी पात्र नहीं है।
5. सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 64 वर्ष 6 माह से अधिक होने पर पुननियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा एवं पुननियुक्त कर्मचारी को 65 वर्ष की आयु से अधिक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी को पुनर्नियोजित करने का निर्णय नामित की गई समिति द्वारा उनकी उपयुक्तता और उस पद के लिए उनके चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त पाए जाने पर निर्भर करेगा।
7. अनुबंध अवधि के दौरान पारिश्रमिक के रूप में एक निश्चित मासिक राशि देय होगी, जो सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन को घटाकर देय होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध अवधि के दौरा अपरिवर्तित रहेगी।
8. अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एच.आर.ए. की अनुमति नहीं दी जाएगी।
9. एक निश्चित परिवहन भत्ता दिया जाएगा जो सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगा।
10. यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता मौजूदा नियमो के अनुसार देय होगा।
11. प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। पुनर्नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जा सकती।
12. रेलवे भर्ती बोर्ड से चयनित या पदोन्नत अभ्यार्थियों के कार्यभार ग्रहण करने पर बिना कोई कारण बताए पुननियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। अनुबंध अवधि 01 वर्ष पूरा होने या 65 की आयु प्राप्त करने जो भी पहले हो अनुबंध स्वतः समाप्त हो जाएगा।

13. आवेदक निर्धारित प्रारूप (**Annexure- A & B**) में आवेदन कर सकते हैं। पुनर्नियोजन हेतु कार्मिक विभाग/ मुख्यालय-पमरे द्वारा जारी दिशा-निर्देशों दिनांक-24.01.2025 एवं 11.08.2025 के तारतम्य में उक्त पदों से सेवानिवृत्त हुए अराजपत्रित रेल कर्मचारी अपना आवेदन **उप मुख्य कार्मिक अधिकारी(मुख्या.), महाप्रबंधक कार्यालय, कोर बिल्डिंग, पश्चिम मध्य रेल- जबलपुर** के पते पर जमा/ पोस्ट कर सकते हैं।

Digitally Signed by Abhay Kumar Gupta
Date: 03-11-2026 11:43:08
Reason: Approved

संलग्नः-(Annexure-A & B)

(अभय कुमार गुप्ता)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी(कैडर)
प.म.रे/जबलपुर

प्रतिः-1.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, पमरे-जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
2.महासचिव सचिव, वे.से.रे.म.संघ/ एससी./एसटी./ओ.बी.सी.एसो. जबलपुर को सूचनार्थ।
3.गोपनीय अनुभाग/पमरे-जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4.जेई आईटी(का.)/पमरे-जबलपुर को सूचनार्थ एवं उक्त अधिसूचना को पमरे की बेवसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।

File No.WCR-HQ0PERS(ENGG)/5/2025-O/o Dy.CPO(HQ)/WCR
(Notification No.04/2026/Construction) Annexure-A

APPLICATION FORMFOR RE-ENGAGEMENT OF RETIRED RAILWAY EMPLOYEE FOR THE POST OF ----------

Latest Passport Size Photograph of RetiredRailway Employee (Self Attested)

1.	Name (in Block letter)	
2.	Father's Name	
3.	Community/Caste	
4.	Place and Post held at the time of Retirement	
5.	Pay Level & Basic Pay (At the time of retirement)	
6.	Last Pay Drawn	
7.	Date of Birth (DD-MM-YYYY)	
8.	Date of Appointment (DD-MM-YYYY)	
9.	Date of Retirement (DD-MM-YYYY)	
10	Mode of retirement (Superannuation/VR/CompulsoryRetirement)	
11.	Date of attaining the age of 65 Year	
12.	PPO NO.&Service Certificate (Copies Enclosed)	
13.	Basic Pension Sanctioned	
14.	Educational Qualification	
15.	Have you ever been arrested/Prosecuted (Yes/No)	
16.	Have you ever Convicted by a Court of Law for any Offence (Yes/No)	
17.	Any Case Pending or Penalty Under D&AR/Vig. At time of Retirement.	
18.	AADHAR No. (Copy Enclosed)	
19.	PAN No. (Copy Enclosed)	
20.	Residential Address (Full with Pin Code)	
21.	A) Mobile No. B) Alternate Mobile No./WhatsApp No.	
22.	E-Mail Id	

Note: If Reply to any of the Item No. 15, 16, 17 is Yes, then details thereof may be provided.

DECLARATION

1.	The undersigned do hereby solemnly affirm and declare that the particulars furnished above are true and correct to the best of my knowledge. I shall be responsible for submission of any wrong and/or incorrect information and that my engagement may be terminated in this reference.
2.	I am willing for Re-engagement subject to the terms and conditions enumerated in this notification/extant rules and as modified by Administration from time to time.
3.	I have clearly read and understood the instructions issued by Railway Board in RBE No.96/2024, 115/2024 and 55/2025 and by Department of Personnel, Headquarters-WCR dated 24.01.2025 and 11.08.2025. I also understand that the re-engagement can be terminated by giving one month's notice without any explanation or reason.
4.	I give my consent to render services anywhere in the Jabalpur, Bhopal and Kota regions- of the Construction Organisation of WCR.

Place.....

Date.....

(Signature and Name of the Retired Employee)

(Notification No.04/2026/Construction) **Annexure-B**

CHECK LIST OF DOCUMENTS TO BE ENCLOSED ALONGWITH APPLICATION

Sr.No.	Documents Enclosed	Yes/No
1.	Last Pay Slip	
2.	Pension Payment Order	
3.	Service Certificate	
4.	Pensioners Identity Card	
5.	Last 5 year's APAR	
6.	Aadhar Card	
7.	PAN Card	

Date.....

Signature of Applicant.....